

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की उन्नीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक, **वीडियो कांफ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के द्वारा मंगलवार, 3 अगस्त 2021 को प्रातः 11.00 बजे** आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है:

1. यथा 31 मार्च, 2021 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, वर्ष समापन 31 मार्च, 2021 हेतु लाभ व हानि लेखा, तुलन-पत्र व लेखा पर लेखा व ऑडिटर की रिपोर्ट द्वारा प्रावर्तित अवधि हेतु बैंक की कार्रवाई व गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर परिचर्चा करना, उसे अनुमोदित करना व अंगीकृत करना।
2. बैंक की इक्विटी पूंजी जुटाना

निम्नलिखित पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित को विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया जाता है कि" बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और समय-समय पर यथा संशोधित अनुसार केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली, 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ("**आरबीआई**"), भारत सरकार ("**जीओआई**"), भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड ("**सेबी**") और / या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति, अनुमति और मंजूरी, यदि कोई हो, के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों अर्थात् सेबी (पूंजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2018 यथा तारीख तक अद्यतन (आई सी डी आर विनियमावली), दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 और सभी अन्य लागू नियम तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकारों के अधीन अधिसूचनाएं / परिपत्र और स्पष्टीकरण तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किये गये सूचीबद्धता करार के अधीन, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किया गया है, एतद्द्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद

NOTICE

Notice is hereby given that the Nineteenth Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on **Tuesday, the 3rd August, 2021 at 11.00 a.m. IST through Video Conferencing / Audio Visual Means**, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2021, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2021, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. Raising of Equity Capital of the Bank

To consider and if thought fit, to pass the following as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("**RBI**"), the Government of India ("**GOI**"), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed

"निदेशक मंडल" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकार सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गयी या इसके आगे गठित की जाने वाली कोई समिति भी शामिल है) को दी जाती है कि (इश्यू के ऐसे हिस्से को पक्का आबंटन और / या प्रतिस्पर्धी आधार पर और कानून द्वारा यथा अनुमत व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों के लिए आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज / नियमावली अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित दिशानिर्देशों के अनुसार सतत या शोध्य या अशोध्य, ऐसे अधिमान शेरों के प्रत्येक वर्ग को, इस प्रकार के अधिमान शेरों के प्रत्येक वर्ग को जारी किए जाने की सीमा को और उन शर्तों एवं निबंधनों जिनके अधीन अधिमान शेरों के प्रत्येक वर्ग जारी किए जा सकते हैं तथा / या अन्य अनुमत प्रतिभूतियां जो ईक्विटी में परिवर्तित होने में सक्षम हैं या नहीं, जिनकी कुल राशि ₹2500.00 करोड़ से अधिक न हो (रुपये दो हजार पांच सौ करोड़ मात्र), ऐसे प्रीमियम को सम्मिलित करने सहित, जो ईक्विटी शेरों पर ऐसे अवसर या समय पर तय किए जा सकते हैं, जैसे कि कीमत या कीमतों में, छूट पर या किसी संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार प्राधिकृत पूंजी की संवर्धित मात्रा तक जिसे भविष्य में इस प्रकार अधिनियमित किया जा सकता है कि केन्द्र सरकार के पास हमेशा बैंक की चुकता ईक्विटी पूंजी 52% से कम नहीं होगी, जिसमें एक या अधिक शेरधारक, ईएसपीएस के माध्यम से बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("एनआरआई"), कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्ह संस्थागत खरीदारों ("क्यूआईबी") जैसे विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफआईआई"), बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूच्युअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेन्शन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ईक्विटी / अधिमानी शेरों / प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा यथा उचित समझे गए तरीके से इनमें से किसी का मिश्रण हो, बाजार मूल्य पर बढ़ा या प्रीमियम सहित होगी।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्यू, साधिकार इश्यू, निजी प्लेसमेंट / अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) या भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य तरीके के जरिए होगा और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों) का अर्जन एवं अंतरण

to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and/or preference shares (whether cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not, for an aggregate amount not exceeding ₹2500.00 Crore (Rupees Two Thousand Five Hundred Crore only), inclusive of such premium as may be fixed on the Equity Shares at such time or times, at such price or prices, at a discount or premium to market price or prices in one or more tranches in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, including to one or more of the shareholders, employees of the Bank by way of ESPS, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity /preference shares / securities of the Bank as per extant regulations / guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on public issue, rights issue, Private Placement / Qualified Institutional Placement (QIP) / or any other mode approved by GOI/RBI with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer

अधिनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली 2018 (“आईसीडीआर विनियमावली”) एवं भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और यथा लागू अन्य किसी प्राधिकरण द्वारा ऐसे अवसर या समय पर और ऐसे तरीके और ऐसी शर्तों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे।

“आगे संकल्प लिया जाता है कि जहां आवश्यक हो लीड प्रबंधक और/या हामीदार और अन्य सलाहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आईसीडीआर विनियमावली, अन्य नियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू कानून, नियम, विनियमावली और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक जो बैंक के विद्यमान शेयरधारक हो या न हो के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड का होगा जो आई सी डी आर नियमावली के संबद्ध प्रावधानों के अनुसार यथा निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि तत्संबंधी सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों, आई सी डी आर नियमावली के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 व विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली 2017 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) एवं इस संबंध में यथा अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद से सामूहिक रूप से “समुचित प्राधिकारी” कहा जाएगा) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और / या मंजूरी के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और / या मंजूरी (जिसे इसके बाद “अपेक्षित अनुमोदन” कहा जाएगा) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के तहत एक या अधिक अंशों में, समय-समय पर अधिपत्रों (वारंटों) को छोड़कर ईक्विटी शेयर या अन्य प्रतिभूतियां जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या इसके साथ विनियम योग्य हो, इस प्रकार जारी, प्रस्तुत या आबंटित कर सकता है कि पात्र संस्थागत नियोजन

of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (“ICDR Regulations”) and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and / or underwriters and / or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, and subject to requisite approvals, consents, permissions and / or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and / or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the Equity Capital

के अनुसरण में (जैसा कि आईसीडीआर विनियमावली के अध्याय VI में परिभाषित है) स्थान **नियोजन दस्तावेज और / या ऐसे अन्य दस्तावेजों / प्रलेखों / परिपत्रों / ज्ञापनों के माध्यम से** और इस तरीके से और इस प्रकार मूल्य, शर्तों और निबंधनों जैसा कि उस समय प्रचलित आईसीडीआर विनियमावली या कानूनों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो, पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईपी) (जैसा कि आईसीडीआर विनियमावली के अध्याय VI में परिभाषित है) की तुलना में केंद्र सरकार किसी भी समय बैंक की इक्विटी पूँजी का 52% से कम धारित न करता हो।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आईसीडीआर विनियमावली के अध्याय VI के अनुसरण में

क) पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आईसीडीआर विनियमावली के अध्याय VI के आशय के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी और इस संकल्प की तिथि से 365 दिनों के भीतर इस प्रकार की प्रतिभूतियों का आबंटन पूरा कर लिया जाएगा।

ख) बैंक आईसीडीआर विनियमावली के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुसार आधार मूल्य से कम मूल्य पर, जो पाँच प्रतिशत से अधिक न हो, पर शेर आबंटित करने के लिए प्राधिकृत है।

ग) प्रतिभूतियों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि आईसीडीआर विनियमावली के अनुसार होगी।

“आगे संकल्प लिया जाता है कि अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा यथा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी / स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेर सूचीबद्ध हैं या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि अनिवासी भारतीयों / विदेशी संस्थागत निवेशकों और / या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए इक्विटी शेर / अधिमानी शेर / प्रतिभूतियों को जारी और आबंटित करना, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जैसा कि लागू हो, किंतु अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि जारी किये जानेवाले उक्त नए इक्विटी शेर यथा संशोधित केनरा बैंक (शेर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के अधीन जारी किये जाएँगे और ये बैंक के मौजूदा इक्विटी शेरों

of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VI of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, **through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda** and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations

a) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of this resolution.

b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.

c) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / preference shares / securities if any, to NRIs, FIIs and / or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares

के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या ईक्विटी शेयर / अधिमानी शेयर / प्रतिभूतियों को आबंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तें निर्धारित करने हेतु बोर्ड एतद्वारा प्राधिकृत है जिसमें निवेशकों का वर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर/प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामलों और चीजों और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करने जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या वांछित समझें तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार के सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, उच्छेदन, संवर्धन संबंधी शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए जो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, शेयरधारकों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प के द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को किसी भी बुक रनर, अग्रणी प्रबंधकों, बैंकरों, हामीदारों, निक्षेपागारों, रजिस्ट्रारों, लेखापरीक्षकों एवं इस प्रकार की सभी एजेंसियों से जो इस प्रकार के इक्विटी / अधिमानी शेयरों / प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हों, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं इसके पूर्ण निष्पादन का तथा इस प्रकार की सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे पारिश्रमिक देने तथा ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को, बैंक द्वारा यथा नियुक्त अग्रणी प्रबंधक, हामीदार, सलाहकार और/या अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श करके, जिन निवेशकों को शेयर आबंटित किया जाना है उनके वर्ग, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किये जानेवाले शेयर, निर्गम मूल्य (प्रीमियम यदि कोई हो सहित), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम की राशि / प्रतिभूतियों के रूपांतरण / अधिपत्रों का प्रयोग / प्रतिभूतियों का शोधन, ब्याज की किश्त दर, शोधन अवधि, ईक्विटी शेयर / अधिमानी शेयर या प्रतिभूतियों के रूपांतरण या शोधन या निरसन के बाद अन्य प्रतिभूतियों, निर्गम का मूल्य, किस्त या बट्टा / प्रतिभूतियों का रूपांतरण, ब्याज की

of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / preference shares / securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares / securities are to be allotted, number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue / conversion of Securities/ exercise of warrants / redemption of Securities, rate of

दर, रूपांतरण की अवधि, रिकार्ड तारीख का नियतन या बही समापन तथा संबंधित या प्रसंगिक मामले, ईक्विटी शेयरों / अधिमानी शेयरों की संख्या या प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन या मोचन या निरसन के बाद अन्य प्रतिभूतियों, प्रतिभूतियों को जारी संपरिवर्तनों के संबंध में मूल्य, प्रीमियम या छूट, भारत में और या विदेश में एक या अनेक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण सहित निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत जैसा उचित समझे, इश्यू के स्वरूप एवं शर्तों को निर्धारित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों/ प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा यथा अनुमत है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्यों, मामलों और चीजों का निर्वाह करने, जिन्हें वे आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझें और ईक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी भी प्रश्न, कष्ट या शंका का समाधान करने के लिए है और आगे ऐसे सभी कार्यों, मामलों और चीजों का निर्वाह करने तथा ऐसे सभी प्रलेख एवं लिखित को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो शेयरधारकों की अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन मांगे बगैर उनके विवेकाधिकार के तहत ज़रूरी, वांछित एवं अनिवार्य समझे अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुसार शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल को, उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए इसके ज़रिए दिये गये सभी या किसी भी अधिकार को प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक / को या निदेशकों की समिति को प्रत्यायोजित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

3. बैंक के शेयर प्रीमियम खाते से **₹18495.30 करोड़ (रुपये अठारह हजार चार सौ पचानवे करोड़ और तीस लाख मात्र)** की संचित हानियों का विनियोग।

निम्नलिखित पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित को विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प लिया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) की धारा 3(2बीबीए), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 17(2) के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना), साथ ही कोई भी वैधानिक संशोधन या उसके

interest, redemption period, number of equity shares / preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue / conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & Chief Executive Officer or to the Executive Director / (s) or to Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions.”

3. Appropriation of accumulated losses of **₹18495.30 Crore (Rupees Eighteen Thousand Four Hundred Ninety-Five Crore and Thirty Lakh only)** from Share Premium Account of the Bank.


To consider and if thought fit, to pass the following as a Special Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Section 3(2BBA) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), Section 17(2) of The Banking Regulation Act, 1949 (BR Act), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme), including any statutory amendments or re-enactments thereof and subject to the approvals of

बाद पुनः अधिनियमन और भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और ऐसे अन्य प्राधिकरणों के अनुमोदन के अधीन, जो इस संबंध में आवश्यक हो, बैंक के शेयरधारकों की सहमति समंजन (सेट ऑफ) की तिथि को बैंक के शेयर प्रीमियम खाते में जमा शेष राशि का उपयोग करके यथा 31.03.2021 को बैंक के ₹18495.30 करोड़ (रुपये अठारह हजार चार सौ पचास करोड़ और तीस लाख मात्र) के संचित नुकसान को समंजन (सेट ऑफ) करने और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उक्त को खाते में दर्ज करने के लिए प्रदान की जाती है।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि उपरोक्त संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड या बोर्ड की समिति उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए एतद्वारा अधिकृत है जो वह अपने पूर्ण विवेक पर संकल्प को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए और इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाइयों या शंकाओं का समाधान करने के लिए आवश्यक या वांछनीय समझे।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार



एल वी प्रभाकर

स्थान : बेंगलूरु

तिथि : 28.06.2021

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Reserve Bank of India, Government of India and such other authorities as may be necessary in this regard, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to set off the Bank's accumulated losses of ₹18495.30 Crore (Rupees Eighteen Thousand Four Hundred Ninety Five Crore and Thirty Lakh only) as at 31.03.2021 by utilizing the balance standing to the credit of Share Premium Account of Bank as on the date of set off and take the same into account during current Financial Year 2021-22.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above resolution, the Board or a Committee of the Board for the said purpose be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may at its absolute discretion deem necessary or desirable for effectively implementing the resolution and to settle any questions, difficulties or doubts that may arise in this regard as it may in its absolute discretion deem fit."

By Order of the Board of Directors



L V PRABHAKAR

MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru

Date : 28.06.2021

टिप्पणियां

1. व्याख्यात्मक वक्तव्य:

प्रदत्त पूंजी जुटाने से संबंधित मद संख्या 2 और 3 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को स्थापित करने वाले व्याख्यात्मक विवरण नीचे दिए गए हैं।

2. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण देशव्यापी लॉक डाउन स्थिति तथा सामाजिक दूरी के अलावा आवाजाही पर प्रतिबंध को देखते हुए, एमसीए (वाणिज्यिक मामले मंत्रालय) ने परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 के साथ पठित परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 के माध्यम से कंपनियों को कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए अपनी सामान्य वार्षिक बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग/ ओवीएम के माध्यम से करने की अनुमति दी है इसके अलावा, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के माध्यम से, एमसीए ने इन छूटों को वर्ष 2021 (यानी, 31 दिसंबर, 2021 तक) में देय कंपनियों की वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) तक बढ़ा दिया है। सेबी ने एमसीए द्वारा जारी पूर्वोक्त परिपत्रों के अनुरूप, सूचीबद्ध संस्थाओं को अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/ सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 के माध्यम से छूट प्रदान की और छूट को अपने परिपत्र, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021 के माध्यम से 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया। उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक "ई-एजीएम" कहे जाने के बाद वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी 19वीं एजीएम आयोजित कर रहा है।

बैंक ने वार्षिक सामान्य बैठक के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तथा ई-वार्षिक सामान्य बैठक के आयोजन के लिए प्रतिभागियों को सक्षम करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट को नियुक्त किया है। बैंक का प्रधान कार्यालय, बैठक का स्थान माना जाएगा।

3. वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) / ऑडियो विजुअल माध्यम (एवीएम) के द्वारा ई-वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने के लिए अनुदेश

क) वीसी / एवीएम पहले आओ पहले पाओ (फर्स्ट-कम-फर्स्ट सर्व) के आधार पर कम से कम 1000 शेयरधारकों की भागीदारी की अनुमति देगा।

ख) बड़े शेयरधारकों (2% या अधिक की शेयरधारिता), प्रायोजकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 2 and 3 of the Notice is given separately.

2. AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING

In view of the prevailing lock down situation across the country due to outbreak of the COVID-19 pandemic and restrictions on the movements apart from social distancing, MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide Circular Nos. Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, permitted companies to hold their AGM through VC/OVAM for the calendar year 2020. Further, vide General Circular No.02/2021 dated January 13, 2021, MCA extended these relaxations to Annual General Meeting (AGMs) of companies due in the year 2021 (i.e., till December 31, 2021). SEBI also in line with the aforesaid circulars issued by MCA, granted relaxations to listed entities vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and extended the relaxations till December 31, 2021 vide its circular SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021. Pursuant to the said guidelines, Bank is conducting its 19th AGM through Video Conferencing herein after called as "e-AGM".

The Bank has appointed KFin Technologies Private Limited, Registrars and Transfer Agents, to provide Video Conferencing facility for the Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of the e-AGM. The Head Office of the Bank shall be the deemed venue for the meeting.

3. INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE e-AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/AUDIO VISUAL MEANS (AVM)

a) The VC/AVM would allow participation of at least 1000 shareholders on first come first serve basis.

b) No restrictions on account of FIFO entry into e-AGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors,

कार्मिकों तथा लेखापरीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति तथा शेयरधारक समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षकों के संबंध में ई-वार्षिक सामान्य बैठक में फीफो के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

- ग) बैठक के कोरम की संख्या का पता लगाने के लिए ई-वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।
- घ) सदस्य बैठक आरंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तथा बाद ई-वार्षिक सामान्य बैठक में भाग ले सकते हैं।
- ङ) शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग विवरण का उपयोग करके शेयरधारकों के लॉगिन के तहत <https://evoting.kfintech.com/> पर वीसी अभिगम सकते हैं। ई-एजीएम के लिए लिंक शेयरधारकों के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां घटना और कंपनी के नाम का चयन किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
- च) हितधारक किसी भी सहायता के लिए evoting@kfintech.com पर आरटीए / तकनीकी हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

4. कार्यसूची मदों पर पूछताछ:

बैठक के दौरान जो शेयरधारक अपने विचार व्यक्त करना/ प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे <https://evoting.kfintech.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं और "अपनी प्रश्न पोस्ट करें" पर क्लिक कर और नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उल्लेख करके प्रदान की गई विंडो में अपने प्रश्न/विचार/प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। "एजीएम प्रश्न" विंडो 30 जुलाई 2021 को प्रातः 10 बजे आईएसटी से 2 अगस्त 2021 को शाम 5 बजे आईएसटी तक सक्रिय होगा।

कृपया ध्यान दें कि, शेयरधारक के प्रश्नों / विचारों / प्रश्नों का उत्तर केवल तभी दिया जाएगा, जब शेयरधारक निर्धारित तिथि, अर्थात् 27 जुलाई 2021 तक शेयरों को धारण करेंगे।

बैठक में जो शेयरधारक बोलना चाहते हैं, उन्हें कैमरे की अनुमति देनी होगी और बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए सुगम गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करना होगा। शेयरधारक "स्पीकर पंजीकरण" के तहत उसी पोर्टल में दिए गए विकल्प के माध्यम से अपने वीडियो को पूर्व रूप से रिकॉर्ड और अपलोड भी कर सकते हैं।

Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.

- c) The attendance of shareholders attending the e-AGM would be counted for the purpose of reckoning the quorum of the Meeting.
- d) The shareholders can join the e-AGM 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting.
- e) The shareholders may access the VC at <https://evoting.kfintech.com/> under shareholders login by using the remote evoting credentials. The link for e-AGM will be available in shareholders login where the EVENT and the name of the company can be selected. Please note that the shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice.
- f) The stakeholders may contact RTA / Technical helpdesk at evoting@kfintech.com for any assistance.

4. QUERIES ON AGENDA ITEMS:

The shareholders who would like to express their views / ask questions during the meeting may log into <https://evoting.kfintech.com/> and click on "Post your Queries" and post their queries/views/questions in the window provided by mentioning the name, demat account number/folio number, email id and mobile number. The "AGM Questions" window shall be activated from 10 a.m. IST on 30th July 2021 till 5 p.m. IST on 2nd August 2021.

Please note that, shareholder's queries / views / questions will be responded to, only if, the shareholder continues to hold the shares as on the cut-off date, i.e., 27th July 2021.

Shareholders who wish to speak at the Meeting will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The Shareholders can also record and upload their video in advance through the option provided in the same portal under "Speaker Registration"

कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरण या टैबलेट से या लैपटॉप के माध्यम से मोबाइल हॉटस्पॉट से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो कमी का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की पूर्वोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थायी वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

वार्षिक सामान्य बैठक में बोलने और सवाल उठाने के इच्छुक शेयरधारक, <https://evoting.kfintech.com/> में लॉग-इन कर सकते हैं और डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, शहर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करके "स्पीकर पंजीकरण" पर क्लिक कर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। स्क्रीन पर संदर्भ संख्या प्रदर्शित की जाएगी जिसे ई-एजीएम बैठक में प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान वापस बुलाने के लिए संरक्षित किया जा सकता है।

जो शेयरधारक इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वे क्रेफिनटेक की ई-वोटिंग वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com/> अपने रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करते हुए लॉग-इन करके एजीएम की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट देख सकेंगे।

जो शेयरधारक एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रश्न हैं, वे अपने प्रश्न 29 जुलाई, 2021 (शाम 5.00 बजे आईएसटी) के पहले भेज सकते हैं, जिसमें उनका नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर hosecretarial@canarabank.com पर उल्लेख किया गया है। इन प्रश्नों का उत्तर बैंक द्वारा ईमेल के माध्यम से उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।

5. प्रतिनिधि की नियुक्ति:

प्रतिनिधि को एक शेयरधारक जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में सक्षम नहीं है, की ओर से सामान्य बैठक में भाग लेने और मतदान करने की अनुमति दी जाती है। चूंकि यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / एवीएम के माध्यम से आयोजित की जाती है, जहां शेयरधारक की भौतिक उपस्थिति को बंद किया गया है, इसलिए प्रतिनिधि की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रतिनिधि की नियुक्ति की सुविधा इस बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

6. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति बैंक की शेयरधारक किसी कंपनी या किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक संकल्प की एक प्रति उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं करती, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सही प्रति प्रमाणित किया जाना है, जिस पर यह पारित किया गया था कि उसे बैंक के प्रधान कार्यालय को वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि के कम से

Please note that Participants Connecting from mobile devices or tablets or through laptop connecting via mobile hotspot may experience audio/video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable wi-fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches. Shareholders intending to speak and raise questions at the AGM, may log into <https://evoting.kfintech.com/> and click on "Speaker Registration" by mentioning the demat account number/folio number, city, email id, mobile number and submit. A reference number shall be displayed on the screen which may be preserved for recalling during the Q&A session in the e-AGM meeting.

Shareholders who are not able to join this Meeting over video conferencing will be able to view the live webcast of proceedings of AGM by logging on the e-voting website of Kfintech at <https://evoting.kfintech.com/> using their remote e-voting credentials.

The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance on or before 29th July, 2021 (5.00 p.m. IST) mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at hosecretarial@canarabank.com. These queries will be replied by the Bank suitably by email.

5. APPOINTMENT OF PROXY:

A proxy is allowed to attend and vote at a general meeting on behalf of a shareholder who is not able to attend personally. Since this meeting is held through VC/AVM, where the physical attendance of the shareholder has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by shareholders will not be available for this meeting.

6. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to participate or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at least four days before the date of the

कम चार दिन पहले अर्थात् बुधवार, 28 जुलाई, 2021 को शाम 5:00 बजे तक बैंक के बंद होने के समय पर या उससे पहले जमा किया जाना चाहिए।

7. शेयर अंतरणकर्ता एजेंट के साथ संपर्क:

भौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरणकर्ता एजेंट को निम्नांकित पते पर दें।

केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट : केनरा बैंक

सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट संख्या 31-32

गचीबौली, वित्तीय जिला, नानकुरामगुडा

हैदराबाद-500 032

आगे, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ई-मेल पता शेयर अंतरणकर्ता एजेंट (उपर्युक्त पते पर) या बैंक को hosecretarial@canarabank.com पर सूचित / पंजीकृत करें।

विभौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को उपर्युक्त परिवर्तन / ईमेल आईडी सूचित करें।

8. लाभांश का भुगतान / बही खाता को बंद करना:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बैंक ने कोई लाभांश का भुगतान नहीं दिया है।

केनरा बैंक (शेयर और बैठक) विनियमों के विनियम 12 के अनुसार, वार्षिक आम बैठक के संबंध में, शेयरधारकों का रजिस्टर और बैंक की शेयर हस्तांतरण पुस्तकें बुधवार, 28 जुलाई, 2021 से मंगलवार 3 अगस्त, 2021 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

9. फोलियो का समेकन:

उन शेयरधारकों से, जो नाम के समरूपी क्रम में एक से अधिक खातों में शेयर रखते हैं, अनुरोध है कि कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को उन खातों की खाता बही के बारे में सूचित करें, साथ में शेयर प्रमाणपत्र भी दें ताकि बैंक द्वारा सभी धारण का एक खाते में समेकन किया जा सके। आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद सदस्यों को यथासमय शेयर प्रमाणपत्र वापस किए जाएंगे।

10. अदावी लाभांश, यदि कोई हो तो:

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है / पिछली अवधि का लाभांश प्राप्त नहीं किया है यथा, वर्ष 2013-14 से 2014-15 और 2016-17 तक, उनसे अनुरोध

Annual General Meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, the 28th July, 2021 by 5:00 p.m.

7. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

KFin Technologies Private Limited

Unit : Canara Bank

Selenium Tower B, Plot No. 31-32

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda

HYDERABAD - 500 032

Further, the shareholders are advised to inform / register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) or to the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

Shareholders holding shares in dematerialized form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

8. PAYMENT OF DIVIDEND / CLOSURE OF BOOKS:

Bank has not paid any dividend for the Financial Year 2020-21.

Pursuant to Regulation 12 of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, the Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from Wednesday, the 28th July, 2021 to Tuesday, the 3rd August, 2021 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

9. CONSOLIDATION OF FOLIO:

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate KFin Technologies Private Limited, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

10. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods, i.e., for the years 2013-14, 2014-15 &

है कि वे पूनर्मूल्यांकन / डुप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने के संबंध में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

hosecretarial@canarabank.com पर शेयर अंतरणकर्ता एजेंट / या बैंक से संपर्क करके दावा करने हेतु शेयरधारकों को सक्षम बनाने के लिए बैंक ने अदावी / अप्रदत्त लाभांश वारंट संबंधी विवरण अपनी वेबसाइट www.canarabank.com पर पोस्ट किया है।

केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक के समायोजन की योजना 2020 का अनुसरण करते हुए बैंक ने अनुमोदित शेयर विनिमय अनुपात (सिंडिकेट बैंक के प्रत्येक 1000 इक्विटी शेयर के लिए केनरा बैंक के 158 इक्विटी शेयर) के अनुसार 01.04.2020 को सिंडिकेट बैंक के पात्र शेयरधारकों को 42,32,68,155 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। किसी शेयरधारक ने समामेलन से पूर्व सिंडिकेट बैंक द्वारा घोषित अपने लाभांश के लिए दावा नहीं किया है तो, हमारे शेयर अंतरण एजेंट / या hosecretarial@canarabank.com पर बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में नये रूप से अंतर्विष्ट धारा 10बी के अनुसार सात साल से भुगतान या दावा न किये गये लाभांश की रकम को कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205सी / 125 के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और उसके बाद बैंक या आईईपीएफ के नाम भुगतान के लिए कोई भी दावा नहीं किया जा सकता। बैंक वर्ष 2013-14 के लिए समामेलित बैंक की अदावाकृत / अप्रदत्त अंतिम लाभांश राशि को लागू प्रावधानों के अनुसार उक्त निधि में अंतरित करने की प्रक्रिया में है। तदनुसार, आईईपीएफ को वर्ष 2013-14 के लिए अवैतनिक अंतिम लाभांश राशि का हस्तांतरण निम्नलिखित तिथियों पर होता है:

- ई-सिंडिकेट बैंक के लिए : 27.07.2021
(अब केनरा बैंक)
- केनरा बैंक के लिए : 21.08.2021

11. वार्षिक रिपोर्ट:

बैंक के शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि प्रचलित कोविड-19 महामारी को देखते हुए और एमसीए, भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी परिपत्रों 02/2021, 20/2020, 17/2020 और 14/2020 सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 और सेबी/एचओ/सीएफडी सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 के अनुपालन में बैंक, शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां नहीं भेजेगा। वार्षिक रिपोर्ट की संपूर्ण प्रति को बैंक की वेबसाइट (www.canarabank.com) पर अपलोड किया गया है।

2016-17, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants, updation of Bank accounts for direct credit of dividends into accounts.

The Bank has posted the details of the Unclaimed/ Unpaid Dividend Warrants on its site, i.e., www.canarabank.com to enable the shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent / or with the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

Pursuant to Scheme of Amalgamation of Syndicate Bank into Canara Bank Scheme, 2020, the Bank allotted 42,32,68,155 equity shares to the eligible shareholders of Syndicate Bank on 01.04.2020, as per the approved share exchange ratio (158 equity shares of Canara Bank for every 1000 equity shares of Syndicate Bank). Any shareholder who has not claimed their dividend declared by E-Syndicate Bank, pre-amalgamation may also contact our Share Transfer Agent / or Bank at hosecretarial@canarabank.com.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 205C/125 of the Companies Act, 1956/2013. The Bank is in the process of transferring the Unclaimed/ Unpaid Final Dividend amount of amalgamated Bank for the year 2013-14 to the said fund as per applicable provisions. Accordingly, the transfer of unpaid final dividend amount for the year 2013-14 to IEPF falls due on following dates:

- For E-Syndicate Bank : 27.07.2021
(Now Canara Bank)
- For Canara Bank : 21.08.2021

11. ANNUAL REPORT:

Shareholders of the Bank may please note that in view of Prevailing Covid-19 Pandemic and in compliance with the Circulars 02/2021, 20/2020, 17/2020, 14/2020, SEBI Circulars SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 issued by MCA, GOI and SEBI, the Bank will not be sending the physical copies of Annual Report to the shareholders. The full copy of the Annual Report is uploaded on the website of the Bank (www.canarabank.com). Shareholders may download

शेयरधारक, वेबसाइट से इसके पठनीय संस्करण को डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिस को बीएसई लिमिटेड, एनएसई लिमिटेड व ई-वोटिंग एजेंसी केफिन टेक्नोलॉजी प्रा. लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com, www.nseindia.com, <https://evoting.kfintech.com/> में भी देखा जा सकता है।

12. शेयरधारकों का मतदान अधिकार:

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के किसी भी शेयरधारक, सिवाय केंद्र सरकार के, अपने पास स्थित बैंक के समग्र शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।

13. ई-वोटिंग {सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 के अनुसार}

बैंक को प्रसन्नता है कि वह बैंक के शेयरधारकों को नोटिस में दिए गए मदों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने में सक्षम बनाने के लिए मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रहा है।

बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-मतदान प्रक्रिया के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में एस. एन. अनंतसुब्रमनियन व कंपनी, कंपनी सचिवालय की नियुक्ति की है।

शेयरधारकों / लाभार्थी मालिकों के ई-वोटिंग अधिकारों को उनके द्वारा इस उद्देश्य के लिए अंतिम तारीख मंगलवार, 27 जुलाई 2021 तक इक्विटी शेयरों पर रखा जाएगा। भौतिक या विमुद्रीकृत रूप में शेयर धारित करने वाले बैंक के शेयरधारक, अंतिम तारीख को, नोटिस की कार्यसूची मद पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

ई-मतदान के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:

क. ई-मतदान के लिए निम्नलिखित यूआरएल का उपयोग करता <https://evoting.kfintech.com>

ख. लॉगिन विवरण प्रविष्ट करें

आपका फोलियो न. / डीपी आईडी ग्राहक आईडी आपका प्रयोक्ता आईडी होगा। पासवर्ड आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

ग. जिनका ईमेल पता पंजीकृत नहीं है उनके लिए लॉगिन विवरण/ वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया:

शेयरधारक जिन्होंने अपना मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और परिणामस्वरूप उन्हें वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम

the readable version of the same from the website. The notice can also be accessed from the websites of BSE Limited, NSE Limited & e-voting agency KFin Technologies Private Limited at www.bseindia.com, www.nseindia.com, and <https://evoting.kfintech.com/> respectively.

12. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

13. e-Voting: {As per the Regulation 44 of SEBI(LODR) Regulations, 2015}

The Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to the shareholders of the Bank through KFin Technologies Private Limited to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice.

The Bank has appointed S.N.ANANTHASUBRAMANIAN & Co, Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

The e-Voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Tuesday, the 27th July, 2021 being the Cut-off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically on the agenda items of the Notice.

The instructions for e-Voting are as under:

a. To use the following URL for e-voting: <https://evoting.kfintech.com>

b. Enter the login credentials

Your Folio No./DP ID Client ID will be your user ID. The passwords would be sent to your registered email ID.

c. Procedure for obtaining login credentials / Annual Report for those whose email addresses are not registered:

Shareholders who have not registered their email address and in consequence the Annual Report,

और ई-वोटिंग नोटिस की सूचना सेवित नहीं की जा सकी है, उसे भेजने के लिए अस्थायी रूप से अपना ईमेल पता तथा मोबाइल नम्बर लिंक : <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx> पर क्लिक करते हुए केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी रजिस्ट्रार/ शेयर अंतरण एजेंट को प्रदान किए गए को प्राप्त करें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नोटिस और ई-मतदान निर्देशों के साथ-साथ प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड भेजने के लिए ईमेल पते और मोबाइल नंबर प्राप्त करने के लिए निर्देशित प्रक्रिया का पालन करें। किसी भी प्रश्न के लिए शेयरधारक einward.ris@kfintech.com पर लिखें।

वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम का नोटिस तथा ई-मतदान अनुदेश प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक रूप से शेयरधारक, इलैक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ईमेल पता, मोबाइल नम्बर, स्व-सत्यापित पैन प्रति तथा ग्राहक मास्टर प्रति उपलब्ध कराते हुए अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन की गई प्रतिलिपि तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति के साथ ईमेल आईडी einward.ris@kfintech.com पर ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं।

- घ. उचित रूप से विवरण प्रविष्ट करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।
- ड. आप पासवर्ड बदलने के मेनू तक पहुंच जाएंगे, जिसमें आपको अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होंगे जिसमें एक बड़ा अक्षर (ए-जेड), एक छोटा अक्षर (ए-जेड), एक संख्यात्मक मान (0-9) और एक विशेष अक्षर शामिल होगा। पहले लॉगिन पर सिस्टम आपसे पासवर्ड बदलने तथा संपर्क विवरण जैसे मोबाइल, ईमेल आदि अद्यतन करने के लिए निर्देश देगा। यदि आप इसे भूल जाते हैं तो आप अपना पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद का गुप्त प्रश्न और उत्तर भी प्रविष्ट कर सकते हैं। दृढ़ता से यह अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।
- च. आपको नए विवरण के साथ दोबारा लॉगिन करना आवश्यक है।
- छ. सफल लॉगिन पर सिस्टम आपको आयोजन का चयन करने का निर्देश देगा, जैसे, **केनरा बैंक**।
- ज. **कार्यसूची मद 1, 2 व 3 के लिए:** मतदान पृष्ठ पर अंतिम तिथि (27 जुलाई 2021) तक शेयरधारक द्वारा धारित अनुसार शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी। यदि आप उक्त कार्यसूची मद के प्रस्तावों के लिए सभी मतों को असहमति / असहमति देने की इच्छा रखते हैं, तो सभी शेयरों में प्रविष्ट करें और मामले के अनुसार

Notice of e-AGM and e-voting notice could not be served. may temporarily get their email address and mobile number provided with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited, by clicking the link: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx> for sending the same. Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the email address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, shareholder may write to einward.ris@kfintech.com.

Alternatively shareholder may send an e-mail request at the email ID einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual report, Notice of e-AGM and the e-voting instructions.

- d. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- e. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- f. You need to login again with the new credentials.
- g. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT, i.e., **Canara Bank**.
- h. **FOR THE AGENDA ITEMS 1, 2 & 3 :** On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the Cut-off Date (27th July, 2021) will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the Resolutions for the said Agenda Items then enter all shares and click "FOR" / "AGAINST" as the case may be. You are not required to cast all your votes in the

"के लिए" / "के विरुद्ध" पर क्लिक करें। आपको अपने सभी वोट एक ही तरह से डालने की आवश्यकता नहीं है। आप कितनी भी संख्या में आंशिक रूप से "के लिए" में और आंशिक रूप से "के विरुद्ध" प्रविष्ट कर सकते हैं, लेकिन "के लिए / के विरुद्ध" दोनों की साथ में ली गई कुल संख्या आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए जैसा कि यहां उल्लेखित है। यदि आप मतदान से बचना चाहते हैं तो आप "बचना" विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि आप "के लिए" या "के विरुद्ध" इंगित नहीं करते हैं, तो इसे "बचना" के रूप में माना जाएगा और धारित शेयरों को किसी भी मद के तहत नहीं गिना जाएगा। पुष्टि करने के लिए ओके और संशोधन के लिए "रद्द करें" पर क्लिक करें। पुष्टि करने के बाद आपको मत में संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी। मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक इन प्रस्तावों पर मतदान करने तक जितना बार चाहें लॉगिन कर सकते हैं।

झ. कई फोलियो / डीमैट अकाउंट रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो / डीमैट खाते के लिए अलग-अलग मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे।

तथापि, शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैंकिंग कंपनियों की धारा 3 (2ई) (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के संदर्भ में, भारत सरकार के अलावा किसी भी हिस्सेदार को बैंक के कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक वोटिंग अधिकार का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

ञ. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को ई-मेल scrutinizersnaco.net के माध्यम से समीक्षक को वोट करने के लिए प्राधिकृत विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ताओं) के प्रमाणित हस्ताक्षर सहित संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रतिलिपि (पीडीएफ/ जेपीजी प्रारूप) भेजने की आवश्यकता है।

ट. एक बार जब आप एक संकल्प पर अपना मत देते हैं, तो आपको बाद में इसे संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

ठ. रिमोट ई-मतदान अवधि:

मतदान के लिए पोर्टल **शुक्रवार, 30 जुलाई 2021 को प्रातः 09:00 बजे से सोमवार, 2 अगस्त 2021 को शाम 5:00 बजे तक (दोनों दिनों को शामिल करते हुए) खुला रहेगा तथा आरटीए उसके बाद ई-मतदान प्लैटफॉर्म को अक्षम कर देगा।**

ड. किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए, <https://evoting.kfintech.com> के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के लिए ई-मतदान प्रयोक्ता मैनुअल का संदर्भ लें या 1800 309 4001 (टोल फ्री न.) पर केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में श्री एस वी राजु से संपर्क करें।

ढ. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और इसे गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

same manner. You may partially enter any number in "FOR" and partially in "AGAINST" but the total number in "FOR/AGAINST" taken together should not exceed your total shareholding as mentioned hereinabove. You may also choose the option "ABSTAIN" in case you wish to abstain from voting. If you do not indicate either "FOR" or "AGAINST" it will be treated as "ABSTAIN" and the shares held will not be counted under either head. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on these resolutions.

i. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account.

However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.

j. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizersnaco.net

k. Once you have cast your vote on a resolution you will not be allowed to modify it subsequently.

l. Remote e-Voting Period:

The Portal will remain open for voting from: **09.00 a.m. IST Friday, the 30th July, 2021 to 5.00 p.m. IST on Monday, the 2nd August, 2021 (both days inclusive) and RTA will disable the e-voting platform thereafter.**

m. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-Voting User Manual for shareholders available at the download section of <https://evoting.kfintech.com> or contact Mr. S V Raju of KFin Technologies Private Limited at 1800 309 4001 (toll free).

n. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.

प. ई-वोटिंग के परिणामों की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट में की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

कृपया नोट करें कि ई-वोटिंग के तहत अपना वोट डालने के बाद आप वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान को संशोधित या मतदान नहीं कर सकते हैं। हालाँकि, आप बैठक में भाग ले सकते हैं और यदि कोई चर्चा हो तो उसमें भाग ले सकते हैं।

निक्षेपागार के माध्यम से दूरस्थ ई-मतदान (रिमोट ई-वोटिंग) करने के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा संबंधी सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को निक्षेपागार और निक्षेपागार सहभागियों के पास अनुरक्षित अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपनी मोबाइल संख्या और ईमेल आईडी के विवरण को अद्यतन करें।

o. The results of e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

Kindly note that once you have cast your vote under e-Voting, you cannot modify or vote on poll at the Annual General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.

The instructions for remote e-voting through Depositories are as under:

In terms of SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, individual shareholders holding securities in Demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

एनएसडीएल	सीडीएसएल
<p>1. आईडीएस सुविधा के लिए पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ता के लिए:</p> <ul style="list-style-type: none"> यूआरएल: https://eservices.nsdl.com 'आईडीएस' सेक्शन के अंतर्गत "बेनीफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें। नए पेज पर यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, "ई-वोटिंग एक्सेस" पर क्लिक करें। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें और इस प्रकार रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए आप ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर चले जाएंगे। 	<p>1. वैसे मौजूदा उपयोगकर्ता, जिन्होंने ईजी /ईजीएस्ट विकल्प को चुना है।</p> <ul style="list-style-type: none"> यूआरएल: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com नई प्रणाली "मायसी" पर क्लिक करें। यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। बगैर किसी अन्य प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें।
<p>2. आईडीएस ई-सेवाओं हेतु गैर-पंजीकृत उपयोगकर्ता के लिए</p> <ul style="list-style-type: none"> पंजीकरण करने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com "आईडीएस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण" का चयन करें। आवश्यक फ़ील्ड को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ें। वैकल्पिक रूप से, पंजीकरण के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp आवश्यक फ़ील्ड को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ें। 	<p>2. ईजी/ईजीएस्ट हेतु गैर-पंजीकृत उपयोगकर्ता के लिए:</p> <ul style="list-style-type: none"> पंजीकरण का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। आवश्यक फ़ील्ड को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ें।
<p>3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर</p> <ul style="list-style-type: none"> यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ 'शेयरहोल्डर/मेम्बर' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर दिखाई गई उपयोगकर्ता आईडी {(यूजर आईडी) (यानी एनएसडीएल का 16 अंकों का डीमैट खाता संख्या)}, पासवर्ड/ओटीपी और सत्यापन कोड दर्ज करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप एनएसडीएल निक्षेपागार साइट पर चले जाएंगे, जहां पर आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और इस प्रकार आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर चले जाएंगे। 	<p>3. सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर</p> <p>यूआरएल: www.cdslindia.com</p> <ul style="list-style-type: none"> डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रस्तुत करें। प्रणाली, डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल संख्या और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को अधिप्रमाणित करेगा। सफल अधिप्रमाणीकरण के पश्चात, जहां ई-वोटिंग चल रहा है, वहाँ के लिए, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे।

NSDL	CDSL
<p>1. User already registered for IDeAS facility:</p> <ul style="list-style-type: none"> • URL: https://eservices.nsdl.com • Click on the "Beneficial Owner" icon under 'IDeAS' section. • On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on "Access to e-Voting" • Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period. 	<p>1. Existing user who have opted for Easi / Easiest</p> <ul style="list-style-type: none"> • URL: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com • Click on New System Myeasi • Login with User ID and Password. • Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. • Click on e-Voting service provider name to cast your vote.
<p>2. User not registered for IDeAS e-Services</p> <ul style="list-style-type: none"> • To register click on link : https://eservices.nsdl.com • Select "Register Online for IDeAS" • Proceed with completing the required fields. Alternatively, • To register click on link : https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp • Proceed with completing the required fields. 	<p>2. User not registered for Easi/Easiest</p> <ul style="list-style-type: none"> • Option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration • Proceed with completing the required fields.
<p>3. By visiting the e-Voting website of NSDL</p> <ul style="list-style-type: none"> • URL: https://www.evoting.nsdl.com/ • Click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. • Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. • Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. • Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period. 	<p>3. By visiting the e-Voting website of CDSL</p> <ul style="list-style-type: none"> • URL: www.cdslindia.com • Provide demat Account Number and PAN No. • System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. • After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the e-Voting is in progress

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी, सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क इस प्रकार है।

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL.

लॉगिन के प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या वे दूरभाष संख्या 022-23058738 और 022-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या वे टोल फ्री संख्या: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर संपर्क कर सकते हैं।

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542-43
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

निक्षेपागार प्रतिभागियों के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते की लॉगिन पहचान (क्रेडेंशियल) का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफलपूर्वक लॉगिन होने के पश्चात, आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे। जैसे ही आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, आप सफल अधिप्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर चले जाएंगे, जहां आप ई-वोटिंग विशेषता (व्यवस्था) को देख सकते हैं। इसके बाद, कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और इस प्रकार रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आप ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे।

14. बैठक के दौरान ई-मतदान प्रणाली:

केवल वे शेयरधारक जो ई-एजीएम में मौजूद हैं और जिन्होंने रिमोट ई-मतदान के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, उन्हें ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। शेयरधारक बैठक के दौरान दिए गए अनुदेशों का पालन करते हुए वीसी/एवीएम में लॉगिन करने के बाद उपलब्ध लिंक <https://emeetings.kfintech.com/> पर क्लिक करते हुए मतदान कर सकते हैं।

15. वोटिंग / मतदान में जांचकर्ता

मैसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी, कंपनी सचिव बैठक

The instructions for remote e-voting through Depository Participants are as under:

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

14. E –VOTING SYSTEM DURING THE MEETING:

Only those shareholders who are present in the e-AGM and have not cast their vote through remote e-voting shall be allowed to vote through e-voting system. The shareholders may vote during the course of the meeting by clicking the link <https://emeetings.kfintech.com/> available after logging in to VC/AVM by following the instructions mentioned therein.

15. SCRUTINIZERS AT VOTING / POLL

M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote

की सभी कार्यसूची मदों के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

16. रिमोट ई-वोटिंग और मतदान के परिणाम

ई-एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और वोटिंग के समेकित परिणाम दो कार्य दिनों के भीतर या बैठक के अंत में घोषित किए जाएंगे और इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंजों और केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर भी होस्ट किया जाएगा।

नोटिस की मद संख्या 2 में उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य:

- 31 मार्च 2021 को बैंक की वर्तमान इक्विटी पूंजी ₹1646.73 करोड़ और बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.18% है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 10.875% से अधिक है। हालांकि, बैंक की कुछ विस्तार योजनाओं, बेसल III मानदंडों के कार्यान्वयन और परिणामस्वरूप पूंजी प्रभार के मद्देनजर पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और मजबूत करने के लिए पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- बैंक ने अपनी 18वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 10.08.2020 को आयोजित की थी, जिसमें अहर्ताप्राप्त संस्थागत नियोजन सहित विभिन्न मोड के माध्यम से 5000 करोड़ रुपये (प्रीमियम सहित) के इक्विटी शेयरों के नये इश्यू के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था। बैंक ने लागू प्रावधानों के अनुसार पात्र योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए ₹103.50 प्रति शेयर (₹93.50 के प्रीमियम सहित) के निर्गम मूल्य पर ₹10 प्रत्येक के 19,32,36,714 इक्विटी शेयरों को जारी करके 11.12.2020 को ₹2000 करोड़ तक की कुल राशि जुटाई।
- चूंकि 18वीं वार्षिक सामान्य बैठक में प्राप्त संकल्पों की वैधता अहर्ताप्राप्त संस्थागत नियोजन के लिए एक वर्ष तक सीमित है, बैंक की टियर I पूंजी के संबंध में, बैंक के निदेशक मंडल ने फॉलो-ऑन इश्यू, राइट इश्यू, सरकारी और वित्तीय संस्थानों के लिए अधिमाम्य मुद्दे, योग्य संस्थागत नियोजन और पूंजी बढ़ाने के अन्य अनुमत माध्यम सहित विभिन्न माध्यमों से ₹2500 करोड़ (प्रीमियम सहित) की सीमा तक पूंजी बढ़ाने का फैसला किया है।
- बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बी)(सी) के अनुसार बैंक प्रदत्त पूंजी को संवर्धित करने हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेंगे। तथापि, केन्द्र सरकार हमेशा बैंक की प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 52% अनुरक्षित रखेगा।

EVOTING and e-voting in respect of all the agenda items of the meeting.

16. RESULTS OF REMOTE EVOTING AND POLL

The consolidated results of remote e-voting and voting at the e-AGM will be announced within two working days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the website of the Bank, Stock Exchanges and KFin Technologies Private Limited.

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO.2 OF THE NOTICE:

- The current Equity Capital of the Bank is ₹1646.73 Crore and the Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2021 is 13.18%, which is well above the 10.875% stipulated by the Reserve Bank of India. However, in view of certain expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms, and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.
- The Bank had at its 18th AGM held on 10.08.2020 passed a special resolution for fresh issue of equity shares of up to ₹5,000 Crore (including premium) by way of various modes including Qualified Institutional Placement. The Bank raised an amount aggregating up to ₹2000 Crores on 11.12.2020 by issue of 19,32,36,714 equity shares of ₹10 each at an issue price of ₹103.50 per share (including premium of ₹93.50) to eligible qualified institutional buyers, in accordance with the applicable provisions.
- As the validity of the resolutions obtained in the 18th AGM is restricted to one year for QIPs, in order to shore the Bank's Tier I capital, the Board of Directors of the Bank have decided to raise Capital to the extent of ₹2500 Crores (including premium) through various modes including Follow-on Issue, Rights Issue, Preferential Issue to Government and Financial Institutions, Qualified Institutional Placement and other permitted mode of raising capital.
- The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-two per cent of the paid-up equity capital of the Bank.

5. सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 41(4) यह प्रावधान करता है कि जब भी बैंक द्वारा कोई इश्यू या प्रस्ताव दिया जाए तो मौजूदा शेयरधारकों को तब तक यही आनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिये जब तक कि शेयरधारक सामान्य बैठक में अन्यथा निर्णय न ले। कथित संकल्प यदि पारित होता है तो बैंक की ओर से बोर्ड को यह अनुमति प्रदान करेगा कि मौजूदा शेयरधारकों को अन्यथा आनुपातिक आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी व आबंटित करें।
6. यह संकल्प, बैंक को सार्वजनिक इश्यू पर अनुसरण द्वारा, अधिकार इश्यू और / या निजी प्लेसमेंट के आधार पर या भारत सरकार/ भा.रि.बै. द्वारा अनुमोदित किसी अन्य माध्यम द्वारा ईक्विटी शेयर/ अधिमानी शेयर / प्रतिभूति निर्मित, प्रदान व आबंटित करने हेतु सक्षम करने की मांग करता है। इश्यू आगम बैंक को समय-समय पर भा.रि.बै. द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं को सशक्त करने में सक्षम करेगा।
7. यह संकल्प आईसीडीआर विनियमनों द्वारा परिभाषित अनुसार योग्य संस्थागत खरीदारों के साथ योग्य संस्थागत नियोजन करने हेतु निदेशक मंडल को सशक्त करने की मांग करता है। निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार में शेयरधारकों से नए अनुमोदन की मांग किये बगैर बैंक हेतु निधि उगाही के लिये आईसीडीआर विनियमनों के अध्याय VI के तहत निर्धारित अनुसार इस तंत्र को अपना सकता है।
आईसीडीआर विनियमनों के अध्याय VI के अनुसार क्यूआईपी इश्यू के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी की जा सकती हैं, जिसका मूल्य “प्रासंगिक तिथि” के बाद के दो हफ्तों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत शेयर के समापन मूल्य के साप्ताहिक उच्च व निम्न के औसत से कम न हो। “प्रासंगिक तिथि” का अर्थ है उस बैठक की तिथि जिसमें बोर्ड या बैंक की समिति क्यूआईपी इश्यू खोलने का निर्णय लेती है।
8. प्रस्ताव हेतु विस्तृत नियम व शर्तें प्रचलित बाजार परिस्थिति व अन्य विनियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सलाहकार, अग्रणी प्रबंधकों व हामीदार व ऐसे अन्य प्राधिकरण व आवश्यकता अनुसार प्राधिकरण के साथ परामर्श में निर्धारित की जायेंगी।
9. चूंकि प्रस्ताव का मूल्य-निर्धारण बाद के स्तर के अलावा अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, अतः यह संभव नहीं है कि जारी होने वाले शेयर का मूल्य उद्धृत किया जा सके। यद्यपि, यह आईसीडीआर विनियमनों के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 व
5. *The Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro-rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.*
6. The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares/ securities by way of Follow on public issue, rights issue and / or on a private placement basis or any other mode approved by GOI / RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.
7. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VI of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.
In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the “Relevant Date”. “Relevant Date” shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.
8. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.
9. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations,

समय-समय पर संशोधित अनुसार केनरा बैंक (शेयर व बैठक) विनियमन, 2000 एवं लागू या आवश्यक अनुसार किसी अन्य दिशानिर्देशों / विनियमनों / सहमति के अनुसार होगा

10. उपर्युक्त कारणों हेतु, इश्यू की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिये बोर्ड को उचित लचीलापन व विवेकाधिकार देने के क्रम में समर्थनकारी संकल्प पारित करना प्रस्तावित किया गया है।
11. आबंटित ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयर के साथ सभी रैंक में समरूप हैं।

इस उद्देश्य हेतु बैंक को विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारक की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव हेतु आपके सहमति का अनुरोध किया गया है।

निदेशक मंडल नोटिस में उल्लिखितानुसार विशेष संकल्प पारित करने हेतु सिफारिश करता है।

बैंक के किसी भी निदेशक का उपर्युक्त उल्लिखित संकल्प से कोई हित या संबंध नहीं है, सिवाय बैंक में उनके शेयरधारण के, यदि हो तो।

नोटिस की मद संख्या 3 में उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य:

1. दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार ₹18495.30 करोड़ (रुपये अठारह हजार चार सौ पंचानवे करोड़ और तीस लाख मात्र) की संचित हानियों को प्रतितुलन की तारीख को बैंक के शेयर प्रीमियम खाते में उपलब्ध जमा शेष राशि का उपयोग करके समायोजित करने का प्रस्ताव किया है और शेयर प्रीमियम खाता तदनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कम हो जाएगा।
2. बैंक का विचार है कि यह वर्तमान परिदृश्य में बैंक के लिए उपलब्ध व्यावहारिक और आर्थिक रूप से कुशल विकल्प है ताकि बैंक की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।
3. बैंक अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होगा जिससे शेयरधारकों को लाभ होगा क्योंकि उनकी होल्डिंग से बेहतर मूल्य मिलेगा और उचित समय सीमा के भीतर लागू प्रावधानों के अनुसार लाभांश भुगतान के रूप में बैंक के शेयरधारकों के लाभ के अवसरों का पता लगाने के लिए बैंक को सक्षम बनाता है। यह प्रस्ताव अपनी प्रतिवर्तन योजनाओं को प्राप्त करने के लिए समयबद्ध तरीके से बैंक को बेहतर स्थिति प्रदान करेगा।
4. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 किसी भी चुकता पूंजी, जो खो गयी है या उपलब्ध परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है, को रद्द करके अपनी चुकता

2000 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.

10. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.
11. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO.3 OF THE NOTICE:

1. The Bank proposes to set off the accumulated losses of ₹18495.30 Crore (Rupees Eighteen Thousand Four Hundred Ninety Five Crore and Thirty Lakh only) as at 31.03.2021 by utilizing the balance standing to the credit of Share Premium Account of Bank as on the date of set off and the share premium account will accordingly stand reduced during the current financial year 2021-22.
2. The Bank is of the view that this is the most practical and economically efficient option available to the Bank in the present scenario so as to present a true and fair view of the financial position of the Bank.
3. The Bank will be able to represent its true financial position which would benefit shareholders as their holding will yield better value and also enable the Bank to explore opportunities to the benefit of the shareholders of the Bank including in the form of dividend payment as per the applicable provisions within a reasonable timeframe. The proposal will also put the Bank in a better position to achieve its Turnaround Plans in a time-bound manner.
4. The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 provides for reducing its paid-up capital by cancelling any paid-up capital which is lost, or is unrepresented by available

पूंजी को कम करने का प्रावधान करता है, और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के रूप में (राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) संशोधन योजना, 2020) द्वारा संशोधित एक राष्ट्रीयकृत बैंक को बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 में संदर्भित चुकता पूंजी की कमी के लिए समान प्रक्रिया का पालन करके अपने शेयर प्रीमियम खाते से किसी भी राशि को विनियोजित करने की अनुमति देता है।

- राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 21 के अनुसार बैंक, अधिनियम की धारा 3 (2बीबीए) में निर्दिष्ट चुकता पूंजी में कमी के लिए समान प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने शेयर प्रीमियम खाते से किसी भी राशि का विनियोग कर सकता है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 3(2बीबीए) के अनुसार, बैंक समय-समय पर सार्वजनिक निर्गम या अधिकार निर्गम या बोनस शेयर जारी करके या अधिमानी आबंटन या वोट के हकदार शेयरधारकों की सामान्य बैठक में पारित संकल्प द्वारा, निजी स्थानन (प्लेसमेंट) के द्वारा, व्यक्तिगत रूप से मतदान करके, या जहां पर प्रॉक्सी अनुमत है, वहाँ प्रॉक्सी द्वारा, और संकल्प के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या, यदि कोई हो, जो इस तरह के हकदार और मतदान करने के पात्र शेयरधारकों द्वारा संकल्प के प्रति किए गए मतदान के कम से कम तीन गुना होने पर बैंक किसी भी चुकता पूंजी को जुटाने के बाद किसी भी तरह से इसकी चुकता पूंजी को कम कर सकती है।
- चूंकि संचित हानियों को समायोजित करने के उद्देश्य से बैंक के शेयर प्रीमियम खाते के प्रस्तावित उपयोग को पूंजी में कमी माना जाएगा, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बीबीए) के प्रावधानों के अनुसार एक विशेष संकल्प के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा जा रहा है।
- बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 17(2) में प्रावधान है कि जहां बैंक किसी राशि या शेयर प्रीमियम खाते से राशि का विनियोग करता है, वह इस तरह के विनियोग की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक को इस तथ्य को इस तरह के विनियोग से संबंधित परिस्थितियों की व्याख्या सहित रिपोर्ट करेगा। बैंक निर्धारित समयावधि के भीतर इस आवश्यकता का अनुपालन करेगा। आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2006-07/132 डीबीओडी. बीपी.बीसी.सं.31/21.04.018/2006-007 दिनांक 20 सितंबर 2006, के अनुसार; सांविधिक आरक्षित निधियों या किसी अन्य आरक्षित निधि से विनियोग किए जाने से पहले

assets and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 as amended by (Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2020) allows a nationalized bank to appropriate any sum from its share premium account by following the same procedure for reduction of paid-up capital referred to in the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

- In terms of Clause 21 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Bank may appropriate any sum from its share premium account by following the same procedure for reduction of paid-up capital referred to in Section 3 (2BBA) of the Act. Further, in terms of Section 3(2BBA) of the Act, the Bank may, from time to time and after any paid-up capital has been raised by public issue or rights issue or by issue of bonus shares or preferential allotment or private placement by resolution passed at the general meeting of shareholders entitled to vote, voting in person, or where proxies are allowed, by proxy, and the votes cast in favour of the resolution are not less than three times the number of votes, if any, cast against the resolution by the shareholders so entitled and voting, reduce its paidup capital in any way.
- As the proposed utilization of Share Premium account of the Bank for the purpose of setting off accumulated losses would be deemed to be a capital reduction, approval of the shareholders of the Bank by way of a Special Resolution is being sought pursuant to provisions of Section 3(2BBA) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
- Section 17(2) of The Banking Regulations Act, 1949 provides that where the Bank appropriates any sum or sums from the Share Premium account, it shall within twenty-one days from the date of such appropriation, report the fact to the Reserve Bank, explaining the circumstances relating to such appropriation. The Bank will comply with this requirement within the prescribed time period. In terms of RBI Circular No. RBI/2006-07/132; DBOD. BP.BC.No.31/21.04.018/2006-007 dated September 20, 2006, prior approval of Reserve Bank of India is required before appropriation is made from the

भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक है। बैंक उक्त स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

8. शेयर प्रीमियम खाते में कमी जिसमें लाभ और हानि खाते में डेबिट बैलेंस का सेट ऑफ शामिल है, शेयर प्रीमियम खाते में जमा राशि को कम करके बैंक द्वारा अपने शेयरधारकों को किसी भी प्रतिफल का निर्वहन नहीं किया जाता है तदनुसार, शेयर प्रीमियम खाते में कमी के बाद बैंक की इक्विटी पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न अपरिवर्तित रहेगा। शेयरों का बुक वैल्यू भी अपरिवर्तित रहेगा।

क्रम संख्या.	श्रेणी	शेयर प्रीमियम खाते में कटौती से पहले		शेयर प्रीमियम खाते में कटौती के बाद	
1	प्रवर्तक की होल्डिंग : भा.स.	1141709678	69.33	1141709678	69.33
2	गैर-प्रवर्तक की होल्डिंग: सार्वजनिक	505028542	30.67	505028542	30.67
	कुल	1646738220	100	1646738220	100

9. शेयरधारकों और लेनदारों के अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। 18 मई 2021 को हुई बैठक में निदेशक मंडल ने बैंक और उसके शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में शेयर प्रीमियम खाते के उपयोग के लिए उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

बैंक की संचित हानियों का प्रस्तावित समंजन विशेष संकल्प के संदर्भ में सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

इस उद्देश्य हेतु बैंक को विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारक की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव हेतु आपके सहमति का अनुरोध किया गया है।

निदेशक मंडल नोटिस में उल्लिखितानुसार विशेष संकल्प पारित करने हेतु सिफारिश करता है।

बैंक के किसी भी निदेशक का उपर्युक्त उल्लिखित संकल्प से कोई हित या संबंध नहीं है, सिवाय बैंक में उनके शेयरधारण के, यदि हो तो।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

एल वी प्रभाकर

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 28.06.2021

statutory reserves or any other Reserves. The Bank is in the process of obtaining the said approval.

8. The reduction of Share Premium account which involves set off of debit balance in P&L account by reducing the amount standing to the credit of the Share Premium account does not entail discharge of any consideration by the Bank to its shareholders. Accordingly, the Bank's equity capital structure and shareholding pattern post reduction of Share Premium account will remain unchanged. The Book Value of the shares will also remain unchanged.

Sl. No.	Category	Prior to the Reduction of Share Premium Account		After the Reduction of Share Premium Account	
1	Promoter's Holding: GOI	1141709678	69.33	1141709678	69.33
2	Non-Promoter Holding: Public	505028542	30.67	505028542	30.67
	Total	1646738220	100	1646738220	100

9. The rights of the shareholders and creditors are not prejudicially affected. The Board of Directors at its meeting held on 18th May 2021 have approved the above proposal of utilization of Share Premium account in the best interests of the Bank and its Shareholders.

The proposed Set Off of the Accumulated Losses of the Bank in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

By Order of the Board of Directors

L V PRABHAKAR

MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru
Date : 28.06.2021